(ग) महाविद्यालयीन स्तर पर उपलब्ध होने वाले छात्रवृत्तियों का विवरण

राज्य शासन की स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ –

1. स्नातक योग्यता छात्रवृत्तियाँ – 30 माह के लिए देय है। रुपये 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र–छात्राएँ आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री 10+2 की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।
2. स्नातक योग्यता सह – साधन शिष्यवृत्ति – 30 माह के लिए देय है। रुपये 150 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति हेतु वे ही छात्र–छात्राएँ आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी 10+2 की परीक्षा 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।
3. स्नातकोत्तर उपाधि के लिए योग्यता छात्रवृत्ति – 20 माह के लिए देय है। 250 रुपये प्रतिमाह स्नातक उपाधि परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।
4. स्नातकोत्तर उपाधि के लिए योग्यता सहायता सहसाधन शिष्यवृत्ति – 20 माह के लिए देय होगा। 250 रुपये प्रतिमाह

टीप : उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए पिता /अभिभावक की आय 24,000 रु. वार्षिक से अधिक न हो।

5. दिव्यांग छात्रवृत्ति – स्नातक स्तर पर 125 रुपये प्रतिमाह (9 माह) तक स्नातकोत्तर स्तर पर 175 रुपये प्रतिमाह (9 माह) तक
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति – यह अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए है। जिसे आनलाइन भरकर हार्ड कापी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना है।

7. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति – महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) श्रेणी के छात्र–छात्राओं के लिए बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण योजना के तहत छात्रवृत्ति की सुविधा है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को आवेदन फार्म के साथ शासन द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति – इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आनलाइन कर हार्ड कापी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना है।
9. निर्धन कल्याण सहायता राशि – महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त।

टीप : छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता खोलना अनिवार्य हैं तथा बचत खाता के पासबुक की छायप्रति, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

विशेष टीप :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।
2. छात्रवृत्ति संबंधी अन्य जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।
3. एक विद्यार्थी को केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. शासन के आदेशानुसार समय–समय पर संशोधन संभावित है।